सं□ या-140/2022/187/21-27-ॅस0-4-42(ड॒ॣ यू) /2020

ॣॆषक,

मुॊताक अहमद

िवशेष सिचव

उ0ॣ0शासन।

सेवा मॆ,

ॣमुख अिभय३ता एवं िवभागा॥यॊ,

ॅसचाई एवं जल संसाधन िवभाग,

उ0ॣ0, लखनऊ।

ॅसचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-**4** लखनऊ**:** ᳰदनांक **26** अॣैल**, 2022**

िवषय**:** सहभागी ॅसचाई ॣब३धन के ᳰᲐया३वयन का ''ॣᳰᲐया सॱॣॆॊण **(Process Audit)''** ᳰकया जाना।

महोदय,

उपयुᲥ□ त िवषयक ॣमुख अिभय३ता (पᳯरयोजना), ॅसचाई एवं जल संसाधन िवभाग, उ0ॣ0, लखनऊ के पॖ संया 1174/िपम/पै□ट/20बी ᳰदनांक 07 िसतॱबर, 2020 के Ღम मॆ मुझे यह कहने का िनदेश ᱟआ है ᳰक उᲦर ॣदेश सहभागी ॅसचाई ॣब३धन अिधिनयम, 2009 कᳱ धारा-46 मॆ िनिहत शि□य□ का ॣयोग करते ᱟए सहभागी ॅसचाई ॣबंधन के ᳰᲐया३वयन के ॣᳰᲐया सॱॣॆॊण (**Process Audit**) कᳱ िनवत् वॉथा िनधाᲥᳯरत कᳱ जाती है:-

(1) सॱॣॆॊण कराने का दाियᲂव-सॱबि३धत मु□य अिभय३ता ᳇ारा अपने अधीन खᲽड□ मॆ सहभागी ॅसचाई ॣब३धन के ᳰᲐया३वयन का ''ॣᳰᲐया सॱॣॆॊण'' कराया जाएगा।

(2) स◌ं◌ज़◌े◌ँ◌ण टीम का गठन-स◌ंबि३धत मु□य अिभय३ता ◌ारा अपने कायाᇌलय के अिधकाᇋरय□, कार्मक□ अथवा संगठन के अधीन म◌ुडल ◌ं◌तरीय ◌िपम ◌ज़कोᇫ के सद◌ं◌य□ म◌ं से दो सद◌ं◌यीय टीम/टीम□ का गठन ◌ंकया जाएगा।

(3) स◌ं◌ज़◌े◌ँ◌ण क◌ं◌ज़◌ंया-

(I) स◌ं◌ज़◌े◌ँ◌ण टीम ◌ारा ''◌ज़◌ंया स◌ं◌ज़◌े◌ँ◌ण'' कर अपनी आ□या मु□य अिभय३ता को ◌ज़◌े◌िषत क◌ं जाएगी।

(II) मु□य अिभय३ता ◌ं◌तरीय ◌िपम ◌ज़कोᇫ के अ◌ं◌य◌ं◌ ◌ारा मु□ य अिभय३ ता को ◌ज़◌े◌िषत स◌ं◌ज़◌े◌ँ◌ण आ□या का परी◌ँ◌ण कर एक ᇋरपोटᇌ तैयार क◌ं जाएगी तथा उस पर स◌ंबि३धत मु□य अिभय३ता क◌ं सहमित ◌ज़◌ा◌ं कर इसे ◌िनदेशक (◌िपम), कायाᇌलय ◌ज़मुख अिभय३ता, ◌ंसचाई एवं जल संसाधन ◌िवभाग को ◌ज़◌े◌िषत क◌ं जाएगी।

(III)◌िनदेशक (◌िपम) ◌ारा आ□या का परी◌ँ◌ण कर कायᇌवाही ᇋरपोटᇌ तैयार क◌ं जाएगी तथा उस पर ◌ज़मुख अिभय३ता (पᇋरयोजना) क◌ं सहमित ◌ज़◌ा◌ं कर आव◌ं◌यक आदेश/◌िनद◌ंश ◌िनगᇌत ◌ंकए जाएंगे।

(4) स◌ं◌ज़◌े◌ँ◌ण क◌ं बार◌ंबारता-सहभागी ◌ंसचाई ◌ज़ब३धन के ◌ंया३वयन का ''◌ज़◌ंया स◌ं◌ज़◌े◌ँ◌ण'' ◌ज़०येक फसल सीजन (रबी एवं खरीफ) के बाद ◌ंकया जाएगा।

(5) ''◌ज़◌ंया स◌ं◌ज़◌े◌ँ◌ण''आ□या ◌ज़◌े◌िषत करने क◌ं समय साᇋरणी-फसल सीजनवार ''◌ज़◌ंया स◌ं◌ज़◌े◌ँ◌ण'' कराने एवं आ□या ◌ज़◌े◌िषत करने क◌ं समय साᇋरणी ◌िन्◌ानुसार होगी-

समय साᇋरणी

◌ं0सं0 ''◌ज़◌ंया स◌ं◌ज़◌े◌ँ◌ण'' का कायᇌअि३तम ◌िति‍थ

		फरीफ फसल सीजन	रबी फसल सीजन
1.	मु□य अिभय३ता ॉ‌ॶॉारा स◌्◌ॢे◌ॅ◌ण टीम का गठन		01 ॅदस◌्बर

01 जून

2. स◌्◌ॢे◌ॅ◌ण टीम ॉ‌ॶॉारा आ□या मु□य अिभय३ता को 31 ॅदस◌्बर

30 जून

◌ॢे◌िषत ॅकया जाना।

3. अ॥य◌ॅ िपम ◌ॢकोॅ‌ॶॉारा आ□या िनदेशक (िपम) 31 जनवरी

31 जुलाई

को ◌ॢे◌िषत ॅकया जाना।

4. िनदेशक (िपम)ॉ‌ॶॉारा आ□या ◌ॢमुख अिभय३ता 28 फरवरी 31 अग◌ॅत

(प॒रयोजना)को ◌ॢे◌िषत ॅकया जाना।

(6) ◌ॢॅॶया स◌्◌ॢे◌ॅ◌ण हेतु स◌्◌ॢे◌ॅ◌ण िब३दु एवं उपिब३दु-''◌ॢॅॶया स◌्◌ॢे◌ॅ◌ण'' हेतु

◌ॢमुख िब३दु एवं

उपिब३दु संल□ प॒रिश-1 मॆ उि॓लिखत है। प॒रिश-1 मॆ संशोधन करने कॆ शि□◌ॢमुख

अिभय३ता (प॒रयोजना) मॆ िनिहत होगी।

(7) ◌ॢॅॶया स◌्◌ॢे◌ॅ◌ण आ□या का ◌ॅव॒प- प॒रिश-1 मॆ अंॅकत उपिब३दु□ के सापे◌ॅ

मा◌ु◌ा०मक

एवं गुणा०मक दोनो ◌ॢकार कॆ आ□या अंॅकत कॆ जाएगी।

सहभागी ×सचाई ◌ॢब३धन का ॅॶया३वयन एक ◌ॢॅॶयो३मुखी (**Process Oriented**)

व◌ॅथा है। इस व◌ॅथा के सकारा०मक प॒रणाम हेतु सहभागी ×सचाई ◌ॢबंधन अिधिनयम,

2009,

सहभागी ×सचाई ◌ॿब३धन िनयमावली, 2010तथा सहभागी ×सचाई ◌ॿबंधन मैनुअल मऀ

िनधाॣिरत

◌ॿ८ॉया का पारदशॡ पालन आव◌ँयक है।

कृपया उपयुॣ□ िनदॎश□ का कड़ाई से अनुपालन सुिनि त ८कया जाए।

संल□कः यथो□।

भवदीय

मु◌ँताक अहमद

िवशेष सिचव

सं□ या- /2022/187/21-27-×स0-4-42(ड◌़ु यू) /2020

◌ॿितिलिप िन्िलिखत को सूचनाथॣ एवं आव◌ँयक कायॣवाही हेतु ◌ॿेिषत-

1. ◌ॿमुख अिभय३ता (पिरयोजना) ×सचाई एवं जल संसाधन िवभाग, उ0◌ॿ0, लखनऊ को उनके प◌् सं□या-1174/िपम/पै□ट/20बी ८दनांक 07 िसत◌ंबर, 2020 के स३दभॣ मऀ इस आशय से ◌ॿेिषत ८क ◌ॿ८ॉया स◌ं◌ॿे◌ाण क§ वा॔षक आ□या शासन को उपल◌़ध कराना सुिन्ि◌त करऀगे।

2. ◌ॿमुख अिभय३ ता (पिरक◌़ प एवं िनयोजन), ×सचाई एवं जल संसाधन िवभाग, उ0◌ॿ0, लखनऊ।

3. मु□य अिभय३ता (पिरक◌़प एवं शोध/बजट/अि◌म िनयोजन)×सचाई एवं जल संसाधन िवभाग, उ0◌ॿ0, लखनऊ।

4. िनदेशक (िपम)×सचाई एवं जल संसाधन िवभाग, उ0◌ॿ0, लखनऊ।

6. मु□य अिभय३ता (जल संसाधन), ×सचाई एवं जल संसाधन िवभाग, उ0◌ॿ0, लखनऊ।

7. गाडॣ फाईल।

आ◌ा से

वी0एन0ितवारी

अनु सिचव

संया-140/2022/187/21-27-ॅस0-4-42(ड/ु यू) /2020 ठदनांक 26 अॅैल, 2022 का संलक (पठरिश-1)

उ0ॅ0सहभागी ॅसचाई ॅबंधन अिधिनयम, 2009 के ठ/यान्वयन हेतु

सॅॅेॅण

के िबन्दु एवं उपिबन्दु

सॅॅेॅण िबन्दु	सॅॅेॅण उपिबन्दु	परीॅण हेतु	उ॰रदायी	
	िवॅतृत सन्दभॅ हेतु िपम			
		अिभलेख	अिधकारी मैनुअल का पैरा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1-सहभािगता			
1. जल उपभोॅा सिमित कॅ सामान्य सभा कॅ बैठक	1)रबी/खरीफ फसल सीजन से पूवॅ सामान्य सभा कॅ बैठक मॅसॅॅम नहर अिधकाठरयॅ/ॅितिनिध ॅारा ॅितभाग ठकया जाना।	िपम मैनुअल के पैरा-47 सॅॅम नहर पठरिश- 17 एवं 17क पर सामान्य सभा कॅ कायॅवाही तथा बैठकका वीिडयो	अिधकारी	
	2)सामान्य सभा कॅ बैठकॅ का अिभलेख रखना एवं फोटोॅाफॅ/वीिडयोॅाफॅ कराना।			
2. जल उपभोॅा सिमित कायॅवृ॰। के अॅयॅॅ0 के साथ सॅॅम नहर अिधकारी कॅ बैठक	1)अिधशासी अिभयन्ता ॅारा रजबहा सिमित के अॅयॅॅ0 के साथ मािसक बैठक का आयोजन करना।	सॅॅम नहर	बैठक का पैरा-51 एवं 52 के अॅयॅॅ0 के अिधकारी	
	2)सहायक अिभयन्ता ॅारा अिॅपका सिमित के अॅयॅॅ0 के साथ मािसक बैठक का आयोजन करना।			

3. जल उपभो□ा सिमित 1)अिधशासी अिभय३ता ☰☰ारा रजबहा सिमित मू९यांकन आ□या

स□म नहर पैरा-34 एवं 35

का मू९यांकन करना कइ स□मता का मू९यांकन ठकया जाना। अिधकारी एवं

2)सहायक अिभय३ता ☰☰ारा अि९पका सिमित अ१य□ ख□डीय

कइ स□मता का मू९यांकन ठकया जाना।िपम ॄकर्

2-िनमाभ्रण/मर□मत कायभ्र

4. ठ८या३वयन सं□था 1)जल उपभो□ा सिमितय□ का वगटकरण कर 1) वगटकरण का

अिधशासी शासनादेश सं□या

वगभ्रवार सूची कइ उपल□धता। ॄकाशन अिभय३ता 116/2019/719/

2)नहर□ कइ सूची िजस पर जल उपभो□ा 2) िपम मैनुअल के 19-27-४स0-4-

सिमितय□ अथवा िवभाग ☰☰ारा कायभ्र कराया पइरिश-48

पर 29(ड□९यू0)/

गया। िवभाग ☰☰ारा कायभ्र कराए जाने का अनुर□त कायभ्र

2019 ठदनांक 23

कारण। पंिजका

अॄैल, 2019

3)जल उपभो□ा सिमितय□☰☰ारा कराए जाने

पैरा-86

वाले काय□ कइ कायभ्रपंिजका अनुर□त रखना।

5. अि९पका एवं रजबहा 1)अिधशासी अिभय३ता ☰☰ारा रबी एवं खरीफ िपममैनुअल के

अिधशासी, पैरा-76(1)

का वाक-ॄू फसल सीजन से पूवभ्र सहभागी वाक-ॄू कायभ्र८म पइरिश- 30क पर

अिभय३ ता एवं

जारी करना। जारी वाक-ॄू अ१य□ िपम

2)रबी एवं खरीफ फसल सीजन से पूवभ्र रजबहा कायभ्र८म तथा ॄकर्

एवं अि९पका पर वाक-थ्रू के आयोजन म□ पइरिश् ट-30 पर

सर्ंिम नहर अिधकारी अथवा ःितिनिध ारा वाक-थ्रू ःितवेदन

ःितभाग ठकया जाना।

6. ःा लन का तकनीकऽ िपममैनुअल अनुमोदन

ःा लन को खण्डीय िपम ःकोर्मञ अनुरिंत अिभयऽता पंिजका मञ अंठकत करना।

2)रजबहा एवं अि पका सिमित के ःा लन िपम ःकोर् पर तकनीकऽ अनुमोदन ःदान करना तथा िववरण खण्डीय िपम ःकोर्मञ अनुरिंत पंिजका मञ अंठकत करना।

1)रजबहा एवं अि पका सिमित से ःा के अिधशासी पैरा-76(6) पिरिशष्-36 पर एवं अनुरिंत पंिजकाअ यंि खण्डीय

7. मःटर रोल

1)अिधशासी अिभयऽता ारा खण्डीय िपम अिधशासी ःकोर्के मा यम से रजबहा एवं अि पका सिमित को मःटर रोल उपल ध कराना तथा खण्डीय िपम ःकोर्मञ अनुरिंत पंिजका मञ इसे अंठकत करना।

2)भुगतान के प ात् मःटर रोल कऽ छायाःित कऽ खण्डीय िपम ःकोर्मञ उपल ध होना।

1)िपम मैनुअल के पैरा-77(1) पिरिशष्- 38 पर अिभयऽता एवं अनुरिंत मःटर रोल खण्डीय िपम पंिजकाःकोर्

2) भुगतान ठकए गए मः टर रोल कऽ छायाःितयाँ

8. कायार्देश

1)अिधशासी अिभयऽता ारा खण्डीय िपम अिधशासी, ःकोर्के मा यम से रजबहा एवं अि पका सिमित को कायार्देश उपल ध कराए जाना तथा इसका िववरण खण्डीय िपम ःकोर्मञ अनुरिंत पंिजका मञ अंठकत कराना।

िपम मैनुअल के पैरा-77(2) पिरिशष्-39 पर अिभयऽता एवं अनुरिंत कायार्देश खण्डीय िपम पंिजका तथा ःकोर् पिरिशष्-40 के

2)कायाᲂदेश पंिजका मूल ᳰित के साथ खᲅडीय अनुसार कायाᲂदेश

िपम ᳰकोᳶमᱶ उपलᭅध होना।

9. अनुबᭅध 1)जल उपभो᭐ा सिमित ᳇ारा कायᲂ कराए 1) िपम मैनुअल के

सᳰम नहर पैरा-77(3)

जाने कᳱ िनिवदा तैयार करने मᱶ सᳰम नहर पᳯरिशᲂ ट-42 पर

अिधकारी एवं

अिधकारी ᳇ारा ᳰितभाग करना। िनिवदा सूचनाखᲅडीय िपम

2)जल उपभो᭐ा सिमित ᳇ारा िनिवदा खोलने 2) पᳯरिशᲂ ट-41

पर ᳰकोᳶ

हेतु िनिवदा सिमित मᱶ सᳰम नहर अिधकारी िनिवदा का

᳇ारा ᳰितभाग करना। तुलनाᲂ मक िववरण

3)अनुबᭅध कᳱᳰित खᲅडीय िपम ᳰकोᳶमᱶ 3) अनुबᭅ ध कᳱᳰित

उपलᭅधता रहना। 4) िवᲂ तीय पᳯ कᳱ

4)िवᱫीय पᳯ कᳱ मूल ᳰित सᳰम नहर मूल ᳰित।

अिधकारी के पास उपलᭅधता रहना।

10. कायᲂ का मापन 1)जल उपभो᭐ा सिमित को माप पुिᲂतका 1)िपम मैनुअल के सᳰम नहर

पैरा-78

िनगᲂत ᳰकया जाने तथा इसे खᲅडीय िपम ᳰकोᳶ पᳯरिशᲂ ट-45 पर

जल अिधकारी

मᱶ अनुरिᳰत पंिजका मᱶ अंᳰकत ᳰकया जाना। उपभो᭐ा सिमित को

2)रजबहा सिमित कᳱ माप पुिᲂतका कᳱ दी गई माप पुिᲂतका

अिधशासी अिभयᭅता ᳇ारा ᭠यूनतम 10 का िववरण

ᳰितशत सᲂयापन ᳰकया जाना। 2) संबंिधत पूणᲂ माप

3)अिᲂपका सिमित कᳱ माप पुिᲂतका का पुिᲂतकाएं।

सहायक अिभयᭅता ᳇ारा ᭠यूनतम 10 ᳰितशत

सᲂयापन ᳰकया जाना।

4)अवर अभियउता ꠆ꠣꠞा माप पुि◌ि◌तका के

स०यापन ०कया जाना।

5)पूणꠣ माप पुि◌ि◌तका का ख꠆डीय ि◌पम ◌्कोꠞ

मꠥ उपल꠆ध होना

11. जल उपभो◌ा सिमित 1)रजबहा सिमित ꠆ꠣꠞा अिउतम भुगतान 1) ि◌पम मैनुअल के सं◌म नहर

पैरा-79

꠆ꠣꠞा भुगतान ०कया जाना पाꠞरत कराने हेतु सामाउय सभा कꠗ बैठक

मꠥ पꠞिरशꠞ-17 पर अिधकारी

अिधशासी अिभयउता अथवा उनके ◌्ि◌तिनिध सामाउय सभा कꠗ

का उपि◌थत रहना। कायꠣवाही का अंकन

2)अि◌पका सिमित ꠆ꠣꠞा अिउतम भुगतान 2) पꠞिरश◌् ट-47क

पाꠞरत कराने हेतु सामाउय सभा कꠗ बैठक मꠥ पर अिउतम भुगतान

सहायक अिभयउता अथवा उनके ◌्ि◌तिनिध का हेतु अनुमोदन

उपि◌थत रहना। 3) पꠞिरश◌् ट-48 पर

3)अिउतम भुगतान हेतु सामाउय सभा के भुगतान पर ि◌नयं◌ण

◌्◌ताव कꠗ◌्ि◌त उपल꠆ध रहना। हेतु पंि◌जका

4)भुगतान पर ि◌नयं◌ण हेतु पंि◌जका रखना।

12. कायꠣ का अनुOवण 1)अिधशासी, सहायक एवं अवर अिभयउता ि◌नरीि◌ण आ◌या कꠗ सं◌म नहर

पैरा-80 एवं 82

एवं स०यापन ꠆ꠣꠞा ि◌◌ि◌ीय ◌्मण कर जल उपभो◌ा ◌्ि◌त अिधकारी

सिमितय◌ के काय◌ के अनुOवण एवं कायꠣ

स०यापन कꠗ ि◌नरीि◌ण ꠞरपोटꠣ उपल꠆ध रहना।

13. आकि◌मक कायꠣ 1)रजबहा पर आकि◌मक कायꠣ कराए जाने से 1) ि◌पम मैनुअल के

सं◌म नहर पैरा-88

स◌िबउधत आकि◌मक कायꠣ पंि◌जका अिधशासी पꠞिरशꠞ-49 पर

अिधकारी

अिभय३ता ाारा अनुरि੯ित रखना। अनुरि੯ित आकि˚म क

2)अि੬पका पर आकि˚मक काय੭ कराए जाने से काय੭पंिजका

स८बि३धत आकि˚मक काय੭ पंिजका सहायक 2) स੯म नहर

अिभय३ता ाारा अनुरि੯ित रखना। अिधकारी ाारा जारी

3)आकि˚मक काय੭ जल उपभो□ा सिमितय□ नोिटस

ाारा न कराए जाने पर स੯म नहर अिधकारी

ाारा नोिटस जारी ठकया जाना।

14. सिमित के काय੭ 1)जल उपभो□ा सिमित के वग੭ के आधार पर 1) ०˚तर-90 के

स੯म नहर पैरा-90

मे िवभाग ाारा काय੭ उसकी तरफ से िवभाग ाारा काय੭

कराए जाने अ३तग੭त स੯म नहर अिधकारी

कराया जाना हेतु िपम मैनुअल के ०˚तर-90 के अ३तग੭त अिधकारी ाारा

स०यापन सिमित का गठन ठकया जाना। स० यापन सिम ित के

2)ठकसी भी योजना मे जल उपभो□ा सिमित गठन का काया੭लय

के काय੭ मे िवभाग ाारा िसिवल काय੭ कराए ाप

जाने हेतु िपम मैनुअल के ०˚तर-90 के अ३तग੭त 2) पिरिश-17 एवं

स०यापन सिमित का गठन ठकया जाना। 47क पर काय੭वाही

3)जल उपभो□ा सिमित की तरफ से िवभाग ाारा कराए गए काय□ के अि३तम भुगतान हेतु

स०यापन सिमित ाारा सामा३य सभा से

भुगतान पािरत ०˚ताव की ०ित उपल੮ध

रहना।

3-िवीय ०ब३धन

15. जल उपभो□ा सिमित 1)रजबहा एवं अि੬पका सिमित के ब.क खात□ 1)सिमितवार खाता अिधशासी

पैरा-69

के ब.क खाते	को अंतन कराना।	न८बर कऽ सूची तथा अिभयउता एवं
	2)खाते सिमित के पंजीकृत नाम से खोले गए ह. अथवा ि गत नाम से।	पासबुक सहायक 2) ११ यय िनयं ुण कऽअिभयउता पंिजका
	3)जल उपभो ा सिमित को ह ्तांतिरत धनरािश के य पर िनयं ुण करने हेतु व ्था-यथा	
	4) आव ्यक पंिजका का संचालन, िबल/वाउचर कऽ प ुावली आ८द बनाना।	
16. जल शु५क के अंश कऽ बजट व ्था अिभयउता,	1)जल उपभो ा सिमित हेतु िनधा॒िरत जल अिधशासी शु५क (जमाबउदी म७ आंिकलत जल शु५क) कऽ एवं बजट व ्था कराने का ्ताव कर िनदेशक िपम िपम को े िषत ८कया जाना।	िपममैनुअल के पैरा-71(1) पिरिश-26 पर जल शु५क अंश कऽख ु डीय मांग/आवंटन का प ु कों
	2) ्तािवत जल शु५क के अंश कऽ सूचना स८बिउधत जल उपभो ा सिमित को उपल ्ध प ु कराना।	एवं अउय स८बिउधत
	3)जल शु५क के अंश के सापे ा ् धनरािश को स८बिउधत जल उपभो ा सिमित को उपल ्ध कराना।	
17. जल उपभो ा सिमित कऽ वा॒षक काय॒योजना	जल उपभो ा सिमित को अपने ोत से ा ् स ्म अिधकारी धनरािश के िविभउ न मद म७य हेतु वा॒षक काय॒योजना (बजट) िनधा॒िरत प ु पर तैयार करवना।	िपम मैनुअल का नहर पैरा-73 पैरा-73(1)(क) पर (बजट) तैयार बजट कऽ ित

18. धन संचरण (फ्लाड 1)पाइरत बजट कऽ्ृित खण्डीय िपम िपम मैनुअल का सँिम नहर

पैरा-73

ग्लो) ्ृकोंर/सँिम नहर अधिकारी के पास उपलब्ध पैरा-73(1)(क) पर अधिकारी

रहना। तैयार बजट कऽ्ृित

2)कायाृलय य मद, कायाृलय साज-स□ा तथा धन ह्तांतरण

मद, या्ा य मद तथा दैिनक काम्रमक□ को का प्

मानदेय मद हेतु बजट कऽ िनधाृइरत धनरािश

धनरािश शासकऽय कोष से सिमित कोष म्ृ

ह्ता३तइरत ठकया जाना।

19. जल उपभो□ा सिमित 1)जल उपभो□ा सिमित के लेख□ का आिडट 1)अधीँिण अिभय३ता अधीँिण

पैरा-74

कऽ िवृीय आिडट कराना। ःारा जारी स्ृेंक□

अिभय३ता एवं

2)िवृीय ऑिडट के आधार पर रिज्ार ःारा कऽ सूचीसँिम

नहर

यथाव्यक आदेश/िनदश िनगृत ठकया जाना। 2) िव० तीय

ऑिडट के अिधकारी

आधार पर रिज्ार

ःारा िनगृत

आदेश/िनदश

4- कायृशील िपम ्ृकोंर

20. खण्डीय िपम ्ृकोंर 1)खण्डीय िपम ्ृकोंर गठन ठकया जाना। िपम मैनुअल अिधशासी

पैरा-58

का गठन 2)खण्डीय िपम ्ृकोंर के सद्य□ के म्य पइरिश-18 एवं 19

अिभय३ता एवं

कायाृवंटन ठकया जाना। पर कायाृलय ािपअ्यँ, खण्डीय

िपम ्ृको

21. ख൱ൡडीय िपम ॒ॖकोर् 1)ख൱ൡडीय िपम ॒ॖकोर् कඞ बैठकෟ৪कया जाना। िपममैनुअल

अिधशासी पैरा-58

के कायൈൗ 2)जल उपभो□ा सिमितय□ कඞ ੇटेൊस ६रपोटൈൗ पඞ६रिशा-74, 75, 77

अिभयൃता एवं

तैयार करना। एवं 80 पर तैयार अ൱यർ੍, ख൱ൡडीय

3)जल उपभो□ा सिमितय□ के ৪ൢया कलाप□ अंतन ॒ॖगित तथा

िपम ॒ॖकोर्

का अनुൟवण करना। बैठक एवं अनुൟवण

का कायൈൗवृ൶

5- अिभलेख

22. अिभलेख 1)ൗसचाई ॒ॖबൃधन हੇताൃतरण हेतु ৪कये गये पඞ६रिशा-7, 8, एवं 9 अिधशासी

पैरा-31, 32

करार कඞ एक ॒ॖित उपल൧ध रहना। पर तैयार पंिजकाएं,अिभयൃता

2)सिमित इൃवेൃൢी पंिजका अनुरिੇत करना। िशकायत पंिजका तथा

3)िशकायत पंिजका अनुरिੇत करना। करार कඞ॒ॖित

4)पंजीकरण पंिजका अनुरिੇत करना।

5)हੇताੇर नमूने व हੇताੇर सं□या पंिजका

अनुरिੇत करना।

6- जल ॒ॖबൃधन

23. सൡच अंकन 1)सൡचपाल एवं सൾबिൃधत सिमित ൜ൾ൜ारा सൡच 1) िपममैनुअल

अिधशासी पैरा-108, 109,

िमलान करना अथवा संयु□ सൡच अंकन करना। पඞ६रिशा-22 पर

अिभयൃता, उप 110 एवं 111

2)सൡच अंकन हेतु कृषक पंिजका एवं खसरा िमलान का अिभलेखराजੇव

मानिच ़ जल उपभो□ा सिमित को उपल൧ध 2) सिम ित को अिधकारी,

कराना। उपल൧ ध कृषक िजलेदार एवं

पंिजका एवं खसरा सൡचपाल

मानिच

24. रोटर तैयार करने म 1)येक फसल सीजन से पूव रोटर तैयार 1)रो टर तैयारी

क अधीण पैरा-126 एवं

रजबहा सिमितय क करने म अधीण अिभयता क अयता म बैठक का

कायवृ त अिभयता एवं कायालय प

सहभािगता रजबहा सिमितय के साथ बैठक करना। 2) िपम मैनुअल के अिधशासी
सं या

2)रोटर किरत रजबहा एवं अिपका पिरिश-82के अिभय ता

500/का00अ0/

सिमित को उपलध कराना। अनुसार संयु त जल

सहभािगता

3) संयु त जल मापन पंिजका का अनुरण।

मापन पंिजका

को ठ

िदनांक

19.09.2011

25. अनािधकृत जल 1)िजलेदार ारा नहर अपराध पंिजका िपममैनुअल उप राजव पैरा-91 से
102

उपयोग/अप य एवं अनुरित िकया जाना। पिरिश-51 पर अिधकारी,

तक

नहर अपराध 2)जल उपभो ा सिमित क जाँच के आधार तैयार नहर अपराध िजलेदार एवं
पर िजलेदार ारा मुकदमा दायर िकया जाना। पंिजकासिचपाल

3)सिमित ारा जाँच न िकए जाने पर उसके

िव कायवाही करना।

4)सिमित ारा अनािधकृत जल उपयोग/जल

अप य पर आरोिपत दड क सम नहर

अिधकारी ारा वसूली क कायवाही करना।

5)अनािधकृत जल उपयोग/जल अप य पर

सिमित ारा दड आरोिपत न करने पर

िवभाग ाारा आरोिपत करना तथा सिमित के

िव९ नोिटस जारी करना।

आ ा से

वी0एन0ितवारी
अनु सिचव